(b) whether there was a Cabinet approval in principle for revival of the above two companies with investment of Rs. 2200 crores which could yield about 24 lakh tonnes of Urea per year; and

(c) if so, when was the decision taken and the reasons for not implementing the same?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SHEES RAM OLA): (a) to (c) The revival packages for Hindustan Fertilizer Corporation Ltd. (HFC) and Fertilizer Corporation of India Ltd. (FCI) approved in principle by the Government in April 1995 envisaged the limited revamp of the Barauni, Durgapur and Namrup units of HFC; and the Sindri, Ramagundam and Talcher units of FCI at a fresh investment of Rs. 2201.13 crore (Rs. 464.93 crore for HFC and Rs. 1736.20 crore for FCI), apart from capital restructuring and other financial reliefs to these undertakings. The funding arrangement for these packages could not be tied up.

With a view to minimising the requirement of budgetary support, it has been decided to reformulate the revival packages from the standpoint of the Financial Institutions. The final revival packages would also require the approval of the Board for Industrial & Financial Reconstruction (BIFR), which is a quesijudicial authority. On implementation of the revival packages, these companies would be able to sustain a production capacity of 23 lakh MT of urea per annum.

The revamp of the Haldia Project of HFC and the Gorakhpur unit of FCI has not been found to be techno-economically feasible. Their rehabilitation would require setting up of new plants involving fresh investments of Rs. 910 crore and 810 crore, respectively (1994 prices). In view of the constraints of resources, it has been decided to consider the option of attracting private capital for their rehabilitation.

असम समझौते को लागू किया जाना

*28. **श्री गोविन्दराम मिरी:**
श्री पराग चालिहा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1985 के असम समझौते के प्रति सरकार का क्या रवैया है;

(ख) क्या सरकार इसे चरणबद्ध / समयबद्ध रूप में लागू करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो समझौते को लागू करने के लिए यदि कोई कार्य योजना हो तो उसका ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री इंद्रजीत गुप्त): (क) से (ग) भारत सरकार असम समझौते, 1985, को कार्यान्वित करने के लिए पूर्णतः वचनबद्ध है। इस समझौते की मुख्य विशेषताएं हैं—25 मार्च 1971 को या उसके बाद असम में आए विदेशियों का पता लगाना और उन्हें बाहर निकालना तथा इस प्रयोजनार्थ सरकारी तंत्र को सुदृढ़ करना, असम का तेजी से सम्पूर्ण आर्थिक विकास करने हेतु सरकार की वचनबद्धता, असम के लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान की सुरक्षा, संरक्षण और उसे बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराना, सीमा पर बाड़ लगाना और सीमा सड़कें बनाना तथा सामान्य स्थिति की बहाली के लिए कदम उठाना।

इस संबंध में विभिन्न उपाय किए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:—

1. नागरिकता अधिनियम, 1955, नागरिक नियम, 1956 और विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 में संशोधन किया गया।

2. 1966—71 की धारा के विदेशी नागरिकों की पहचान करने के लिए असम में विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 के तहत ग्यारह न्यायाधिकरण कार्यरत हैं।

3. विशेष पंजीकरण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। विदेशियों की घुसपैठ की रोकथाम करने की योजना के तहत 1280 अतिरिक्त पद सृजित करने के लिए स्वीकृति भी प्रदान की गई थी।

4. अवैध प्रवासी (न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण) अधिनियम, 1983 के तहत असम में सोलह न्यायाधिकरण कार्यरत हैं।

सुरक्षा उपाय और आर्थिक विकास

5.श्रीमंत शंकरादेव कलाक्षेत्र, गुवाहाटी, को स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। 8.65 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है।

6.गुवाहाटी में ज्योति चित्रबन (फिल्म) स्टूडियो को आधुनिक बनाया जा रहा है उसका विस्तार किया जा रहा है।

7.राज्य के आर्थिक विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की गई हैं। नूमालीगढ़ स्थित तेल शोधन कारखाने का कार्य प्रगति पर है। कथालगुड़ी में गैस आधारित विद्युत परियोजना का कार्य कार्यान्वयन अधीन है। जोगीघोपा में रेल एवं सड़क पुल के निर्माण का कार्य पूरा होने वाला है। सिलघट में एक जूट मिल को पुनः चालू किया गया है।

8.दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय, एक तेजपुर में और दूसरा सिलचर में, स्थापित किए गए हैं।

9.गुवाहाटी में एक आई०आई०टी० स्थापित की गई है।

अन्य मामले

10.नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने के अधिकार अब केवल केन्द्र सरकार के पास हैं।

11.भारत-बंगलादेश सीमा पर 2784 कि०मी० सीमा सड़कों के निर्माण और 896 कि०मी० में बाड़ लगाने की स्वीकृति दे दी गई है। इनमें से 1633.43 कि०मी० सीमा सड़क तथा 612.05 कि०मी० में बाड़ लगाने का कार्य 31.5.1996 तक पूरा कर लिया गया है।

12.आन्दोलन के संबंध में कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक मामलों की संवीक्षा की गई।

13.आन्दोलन के दौरान मारे गए व्यक्तियों के निकटतम संबंधी को अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है।

14.नियुक्तियों के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा उन अभ्यर्थियों के मामले में जो असम राज्य में 1.1.1980 से 15.8.1985 तक की अवधि में सामान्य तौर पर रहे हों, के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिकतम आयु सीमा में छह वर्ष तक की छूट देने के आदेश जारी किए गए थे।

15.आन्दोलन के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एन०एस०ए०) के अधीन निरुद्ध किए गए व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया।

इस समझौते के कार्यान्वयन की समीक्षा केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी और जब कभी आवश्यक होगा तो कार्यान्वयन के कार्य को तेज करने के लिए उपाय किए जाएंगे।

Clearance to Cogentrix Power Project in Karnataka

*29. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Cogentrix Power Project in Karnataka has been finally cleared by the Central Government;

(b) if so, what is the total cost of the project and how many MWs of power would be generated from the project; and

(c) whether environmental clearance has also been given; if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) No, Sir.

(b) The proposal of the Mangalore Thermal Power Project (4×250 MW) has been accorded techno-economic clearance of the Central Electricity Authority at a total completion cost of US$ 751.574 Million + Rs. 1580.89 crores.

(c) The project was accorded environmental clearance on 11.6.1996 stipulating various environmental measures which are required for environmental protection.

Damage to crops due to hailstorm in Andhra Pradesh

*30. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the recent hailstorm in Andhra Pradesh damaged the standing

7/1/Sec 2-B